



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226537
CG-MH-E-13042021-226537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 161]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/20/2019-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत नौकाओं/बार्ज/अन्य क्राफ्ट के लिए रियायती पोत संबंधी प्रभारों को प्रभारित करने के लिए एक नोट निर्धारित करने के लिए आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी दिनांक 29 नवंबर 2019 द्वारा अनुमोदित विद्यमान दरमानों में संशोधन के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हैं, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश दिया गया है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/20/2019-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च 2021 के इस 16वें दिन को पारित)

अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत नौकाओं/बार्ज/अन्य क्राफ्ट के लिए रियायती पोत संबंधी प्रभारों को प्रभारित करने से संबंधित एक नोट निर्धारित करने के लिए आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी दिनांक 29 नवंबर 2019 द्वारा अनुमोदित विद्यमान दरमानों में संशोधन के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने आदेश संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी दिनांक 29 नवंबर, 2019 द्वारा वीपीटी दरमानों में सामान्य संशोधन से संबंधित एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र नं. 494 द्वारा भारत के राजपत्र में 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात्, एक सकारण आदेश राजपत्र संख्या 20 दिनांक 14 जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया। इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधित एसओआर भारत के राजपत्र में एसओआर की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुआ था और यह संशोधित एसओआर लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 26 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।

3.1. वीपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 23 फरवरी 2021 के द्वारा अब अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत नौकाओं/बार्ज/अन्य क्राफ्ट के लिए रियायती पोत संबंधी प्रभारों को प्रभारित करने के लिए एक नोट निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव के समर्थन में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है वे निम्नानुसार हैं:

- (i). वीपीटी पर कई शिल्प/नौकाएँ ट्रेजिंग, समुद्री परिचालन संबंधी कार्यों, विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यों आदि के प्रयोजन से आती हैं जो भारत की समुद्री सीमा के पार नहीं जाती हैं, उन पर पोत से संबंधित आवश्यक शुल्क प्रभारित किए गए थे।
- (ii). दरमान के खंड 1.2(i) में यह उल्लेख है कि कस्टम या महानिदेशक, शिपिंग द्वारा उनके प्रमाणन से पोत की स्थिति के संबंध में की गई पुष्टि यह निर्णय लेने में एक प्रासंगिक कारक होता है कि पोत से संबंधित प्रभारों के प्रयोजन के लिए क्या पोत "तटीय" है या "विदेशीगामी" और इसलिए अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत क्राफ्ट, जिन्हें तटीय समुद्र में ही आने की अनुमति प्रदान की जाती है, के संबंध में विदेशी दर प्रभारित की जाती है।
- (iii). वीपीटी बोर्ड ने संकल्प संख्या 13/2020-21 द्वारा अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत बार्ज/नौकाओं आदि के लिए बर्थ भाड़े और वीआरसी के अन्य घटकों पर रियायती तटीय प्रशुल्क प्रभारित करने के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव भेजने का संकल्प लिया और अंतर्देशीय पोत के रूप में वर्गीकृत है।
- (iv). इसलिए, बर्थ भाड़े और वीआरसी के उन अन्य घटकों पर रियायती तटीय प्रशुल्क प्रभारित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत पोतों के लिए देय वार्षिक इंडेक्सेशन के साथ दिनांक 29 नवंबर 2019 आदेश द्वारा एसओआर में विनिर्दिष्ट हैं और धारा 1.1 खंड (xi) के अंतर्गत निम्नलिखित के अंतर्वेशन के साथ अंतर्देशीय पोत" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (v). "अंतर्देशीय पोत या अंतर्देशीय यांत्रिक चालित पोत का अर्थ है एक यंत्रवत् चालित पोत, जो आमतौर पर अंतर्देशीय जल में ही रहता है, लेकिन मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 और अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत मछली पकड़ने के पोत और जहाज इसमें सम्मिलित नहीं हैं और "अंतर्देशीय पोत" के रूप में वर्गीकृत है।
- (vi). सामान्य नियमों और शर्तों 1.2 खण्ड (iv) के अंतर्गत "तटीय पोतों पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत नौकाओं के लिए बर्थ किराया और पोत से संबंधित प्रभारों के अन्य घटकों पर रियायती तटीय प्रशुल्क प्रभारित किया जाएगा और "तटीय पोत" के रूप में वर्गीकृत" के रूप में समाविष्ट करने के लिए।

3.2. वीपीटी के न्यासी मंडल ने अपनी 02 जून 2020 को आयोजित बैठक में संकल्प संख्या 13 (बोर्ड के संकल्प दिनांक 02 जून 2020 की एक प्रति प्रस्तुत की जाती है) द्वारा निम्नलिखित के अनुमोदन का संकल्प किया है:

- (i). बर्थ भाड़ा और बार्ज/पोत आदि के लिए पोत संबंधी प्रभारों के अन्य घटकों पर रियायती तटीय प्रशुल्क को प्रभारित करने के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव भेजना
- (ii). उस समय तक टीएएमपी ने "अंतर्देशीय पोत" [जैसाकि ऊपर (i) में उल्लेख किया गया है] के लिए उपर्युक्त रियायती दरों को अधिसूचित किया है और प्रशुल्क को प्रभारित करने में समानरूप नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से, दरों को पोतों के इस प्रकार के वर्गीकरण [अंतर्देशीय पोत] के लिए विदेशी दरों से माफ करते हुए तटीय दरों को इस प्रकार के पोतों के लिए प्रभारित किया जा सकता है क्योंकि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 53 के अंतर्गत इस प्रकार की माफी के लिए अनुमति प्रदान करने का कार्य बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है, और
- (iii). ट्रेड को उपर्युक्त के बारे में अवगत कराते हुए रियायती प्रशुल्क परिपत्र के जारी होने की तारीख से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगा

4. इस प्रकार, संक्षेप में वीपीटी ने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत बार्ज/नौकाओं आदि के लिए बर्थ किराया प्रभारों और वीआरसी के अन्य घटकों के लिए तटीय पोत के लिए निर्धारित रियायती प्रशुल्क पर रियायती प्रशुल्क प्रभारित

करने के संबंध में वीपीटी के विद्यमान एसओआर में एक नोट सम्मिलित करने के लिए वर्तमान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। और अंतर्देशीय पोत के रूप में।

वीपीटी के एसओआर में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें अधिकतम दरें हैं। वीपीटी ने निम्न दरों को प्रभावित करने के लिए पहले ही लचीला रख अपनाया है। वीपीटी के न्यासी मंडल ने अंतर्देशीय पोत के लिए बार्ज/पोतों आदि के लिए बर्थ किराया और पोत संबंधित प्रभारों के अन्य घटकों के लिए तटीय पोत के लिए निर्धारित रियायती तटीय प्रशुल्क को प्रभारित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। चूँकि, पत्तन का प्रस्ताव व्यवसाय के हित में है और न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित है, इसलिए, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में परामर्श की प्रक्रिया और संयुक्त सुनवाई का आयोजन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.1. इसी बीच, श्री के. विजय गोपाल, नौका सागर रक्षक -2 (एपी-IV-के-बी-0156) के स्वामी ने अपने ई-मेल दिनांक 18 दिसम्बर 2020 और तत्पश्चात अनुस्मारक दिनांक 08 जनवरी 2021 द्वारा उनकी नौका, जो अपने आगमन से अभी तक पत्तन से गयी नहीं है, के संबंध में वीपीटी द्वारा विदेशी दर पर वसूले गए बर्थ भाड़ा प्रभार के विरुद्ध वीपीटी को एक आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। श्री के. विजय गोपाल द्वारा अपने ई-मेल दिनांक 18 दिसम्बर 2020 में किए गए प्रमुख अनुरोध संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

- (i). उक्त नौका नीलामी में एपी राज्य सरकार से खरीदी गई थी। उस समय इस नौका का प्रयोग वर्ष 2012 में कस्टम विभाग द्वारा किया जा रहा था।
- (ii). तभी से यह नौका पंजीकृत नहीं है और अभी तक इसने वीपीटी से प्रस्थान नहीं किया है। वीपीटी विदेशी श्रेणी के अंतर्गत बर्थ भाड़ा प्रभार की वसूली कर रहा है जबकि यह नौका भारत में निर्मित की गई थी और इसका मूल स्वामी राज्य सरकार थी और अपने जीवन काल में इसने वीपीटी से प्रस्थान नहीं किया।
- (iii). वर्ष 2018 में, उक्त नौका को एपी मैरिनाइड बोर्ड के IV अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। तो भी यह पत्तन मई 2020 तक विदेशी श्रेणी के अंतर्गत वही प्रभार वसूल करता रहा है। कई अभ्यावेदनों के पश्चात, पत्तन ने जून 2020 के महीने से तटीय श्रेणी के लिए प्रशुल्क वसूल करना प्रारंभ किया है।
- (iv). अतः अनुरोध है कि उनके अनुरोध पर विचार करें और इस मामले के संबंध में वीपीटी को उपयुक्त युक्तियुक्त आदेश दें।

5.2. के. विजय गोपाल से प्राप्त उक्त प्रत्येक ई-मेल दिनांक 18 दिसम्बर 2020 और तत्पश्चात 08 जनवरी 2021 का अनुस्मारक की प्रति हमारे पत्र दिनांक 12 फरवरी 2021 द्वारा वीपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी

5.3. अपने उत्तर में वीपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 10 मार्च 2021 द्वारा अपना पत्र दिनांक 08 मार्च 2021 अग्रेषित किया है। वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 10 मार्च 2021 में जिन प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया है, वे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैं:

- (i). 02 जून 2020 को आयोजित बैठक के दौरान कार्यसूची की मद संख्या एस-1 के संबंध में वीपीटी बोर्ड के संकल्प के अनुसार, रियायती तटीय प्रशुल्क परिपक्व के जारी होने की तारीख अर्थात् 26/29 जून 2020 से प्रभावी होगा।
- (ii). अतः, मई 2020 तक तटीय प्रशुल्क में प्रभारों को वसूल करने के लिए फर्म द्वारा प्रकट विरोध पर वीपीटी के न्यासी मंडल के निर्णय के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जब टीएएमपी से स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया था, टीएएमपी ने तटीय पोत के रूप में अंतर्देशीय पोत अधिनियम के अंतर्गत पोत को पंजीकृत समझने के लिए और वह भी भावी प्रभाव से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तर दिया है।

6. जहां तक पत्तन द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर टीएएमपी के पत्र के संबंध में वीपीटी के संदर्भ का संबंध है, यह उल्लेख करना है कि उक्त पत्र दिनांक 20 जनवरी 2021 में वीपीटी को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया गया है। टीएएमपी ने वीपीटी के बोर्ड संकल्प दिनांक 02 जून 2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें वीपीटी के न्यासी मंडल ने यह संकल्प किया है कि पत्तन अंतर्देशीय पोत के लिए पृथक प्रशुल्क के लिए टीएएमपी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस स्थिति के होते हुए, वीपीटी से यह अनुरोध किया गया था कि वे प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2018 और कार्यकारी दिशा-निर्देश 2018 का अनुपालन करते हुए अंतर्देशीय पोत के लिए प्रशुल्क का अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध करने से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था। कार्यकारी दिशा-निर्देश 2018 के खण्ड 5.7.5 के अनुसार, वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर टीएएमपी द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रशुल्क प्रभावी प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त पत्र के अंतिम पैरा में यह भी उल्लेख किया गया था कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें अधिकतम दरें हैं। वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले पृथक प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा दरों को अनुमोदित किए जाने तक अंतर्देशीय पोत के संबंध में रियायती दरों को प्रभारित करने के लिए वीपीटी ने पहले ही लोचदार तरीके को अपनाया है।

7. मामले पर कार्रवाई के दौरान एकत्र की गई जानकारी की संपूर्णता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आयी है:

- (i). वीपीटी ने सामने लायी गई स्थिति को देखते हुए इस प्रस्ताव पर यह विचार प्रकट किया है कि ट्रेजिंग, समुद्र से संबंधित प्रचालन कार्यों, विभिन्न संरचनात्मक कार्यों आदि के प्रयोजन से बहुत से क्राफ्ट/नौकाएं जो वीपीटी में

आती हैं, जिन्हें भारत की समुद्री सीमा के बाहर विचरण नहीं करते, विदेशगामी पोत के लिए निर्धारित प्रशुल्क पर पोत से संबंधित प्रभारों को प्रभारित किया जा रहा था। दर एसओआर के 1.2(i) विनिर्धारित प्रावधान पर कथित तौर पर आधारित है।

एसओआर के उक्त खण्ड में यह उल्लेख है कि कस्टम या महानिदेशक, शिपिंग द्वारा उनके प्रमाणन से पोत की स्थिति के संबंध में की गई पुष्टि यह निर्णय लेने में एक प्रासंगिक कारक होता है कि पोत से संबंधित प्रभारों के प्रयोजन के लिए क्या पोत "तटीय" है या "विदेशीगामी" और इसलिए अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत क्राफ्ट, जिन्हें तटीय समुद्र में ही आने की अनुमति प्रदान की जाती है, के संबंध में विदेशी दर प्रभारित की जाती है।

- (ii). तटीय पोत की परिभाषा, जो सभी महापत्तन न्यासों और बीओटी प्रचालकों जिसमें वीपीटी के एसओआर भी सम्मिलित है, में समरूप से विनिर्धारित की गई है, को नीचे उद्धृत किया जाता है:

"तटीय पोत" से तात्पर्य है कि कोई भी पोत जो केवल भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पोत या स्थान के बीच कारोबार में लगा हुआ है और जिसके पास पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस है।

- (iii). अंतर्देशीय पोत को विद्यमान अनुमोदित वीपीटी के एसओआर में परिभाषित नहीं किया गया है। वीपीटी ने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के अनुसार "अंतर्राज्यीय पोत" की परिभाषा का संदर्भ दिया है जो कि नीचे उद्धृत है:

"अंतर्देशीय पोत या अंतर्देशीय यांत्रिक चालित पोत का अर्थ है एक यंत्रवत् चालित पोत, जो आमतौर पर अंतर्देशीय जल में ही रहता है, लेकिन मर्चेण्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 और अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अंतर्गत पंजीकृत मछली पकड़ने के पोत और जहाज इसमें सम्मिलित नहीं हैं और "अंतर्देशीय पोत" के रूप में वर्गीकृत है।

- (iv). अंतर्देशीय पोत की परिभाषा कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी), श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन, कोलकाता (एसपीएमपी) (पहले कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के नाम से जाना जाता था) और मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के एसओआर में निर्धारित है, जैसाकि नीचे दी गई है:

- (क). कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी):

"अंतर्देशीय जल बार्ज" से तात्पर्य उन बार्ज से होगा जो केवल अंतर्देशीय समुद्र-सीमा में रहें।

- (ख). श्यामा प्रसाद मुकर्जी पत्तन, कोलकाता (एसपीएमपी) (पहले कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के नाम से जाना जाता था):

'अंतर्देशीय पोत' से तात्पर्य ऐसे किसी भी पोत से होगा जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के अंतर्गत पंजीकृत हो।

- (ग). मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी):

'अंतर्देशीय पोत' से तात्पर्य ऐसे पोतों/बार्जों से होगा जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के अंतर्गत पंजीकृत हो और अंतर्देशीय समुद्री सीमाओं के बाहर न जा सकते हों, ऐसे पोत समुद्र तटीय आपूर्ति पोत की परिभाषा में नहीं आते।

- (v). वीपीटी ने तटीय पोत के लिए एसओआर में निर्धारित रियायती प्रशुल्क के बराबर मूल्य पर अंतर्देशीय पोत पर संबंधित प्रभारों में रियायत प्रभारित करने के लिए प्रस्ताव किया है। इसके लिए, पत्तन ने एक नोट समाविष्ट करने के लिए प्रस्ताव किया है जिसमें यह उल्लेख है कि अंतर्देशीय पोतों पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के अंतर्गत पंजीकृत पोतों के लिए पोत से संबंधित प्रभारों के बर्थ किराए और अन्य घटकों पर रियायती तटीय प्रशुल्क प्रभारित किया जाएगा और "अंतर्देशीय पोत" के रूप में वर्गीकृत। यह प्रस्ताव वीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित है।

चूँकि, वीपीटी का प्रस्ताव पहले ही इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, इसलिए इस प्राधिकरण ने प्रस्तावित नोट को समाविष्ट करने के लिए भाषा में मामूली संशोधन के साथ अनुमोदन कर दिया है। संशोधन में यह उल्लेख है कि अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के अंतर्गत पंजीकृत पोत और अंतर्देशीय पोतों के रूप में वर्गीकृत पर वीपीटी के दरमानों में तटीय पोत के लिए निर्धारित स्तर पर बर्थभाड़ा में और पोत से संबंधित प्रभारों के अन्य घटकों पर रियायती प्रशुल्क प्रभारित किया जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा जारी की गई तटीय पोत की परिभाषा और तटीय रियायत नीति के अंतर्गत अंतर्देशीय पोत शामिल नहीं हैं। अतः अंतर्देशीय पोत के लिए निर्धारित रियायती प्रशुल्क जैसाकि वीपीटी द्वारा प्रस्ताव किया गया है, को सामान्य रियायत के रूप में समझा जाना है और तटीय पोत के लिए प्रशुल्क में रियायत द्वारा सम्मिलित किया गया नहीं समझना चाहिए।

वीपीटी ने विद्यमान एसओआर की 1.2. सामान्य शर्तों और नियमों के अंतर्गत नोट (iv) के रूप में प्रस्तावित नोट को समाविष्ट करने के लिए प्रस्ताव किया है। यह देखा गया है कि वीपीटी के विद्यमान एसओआर में पहले से नोट (iv) विनिर्दिष्ट किया गया है। अतः प्रस्तावित नया नोट इसके एस ओ आर की 1.2. सामान्य शर्तों और नियमों के अंतर्गत अंतिम नोट संख्या (xxv) के रूप में समाविष्ट किया गया है।

- (vi). वीपीटी के न्यासी मंडल ने वीपीटी द्वारा जारी किए गए परिपत्र की तारीख से उत्तर व्यापी तारीख से अंतर्देशीय पोत के लिए ट्रेड के लिए इस प्रकार के पोतों (अंतर्देशीय पोत) वर्गीकरण के लिए विदेशी दरों से प्रदान की गई छूट के रूप में दरों को समझते हुए प्रस्तावित रियायती प्रशुल्क का अनुमोदन कर दिया है, क्योंकि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 53 के अंतर्गत इस प्रकार से माफ करने के लिए अनुमति प्रदान करने का कार्य बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें उच्चतम दरें हैं, पत्तन ने पहले ही निर्धारित दरों की तुलना में निम्न दरें प्रभारित करने के लिए शिथिलता बरती है।

साधारणतया इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेशों में विशिष्ट रूप से कोई अन्य व्यवस्था न की जाए भावी प्रभाव से लागू होते हैं। चूंकि, वीपीटी ने वीपीटी के न्यासी मंडलके अनुमोदन के आधार पर, ट्रेड को परिपत्र और प्रस्ताव के आधार पर रियायती प्रशुल्क पहले से ही लागू किया है रियायती दर प्रदान करने के लिए अधिसूचित एसओआर में प्रस्तावित संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएमपी/20/2019-वीपीटी दिनांक 29 नवम्बर 2019 द्वारा भारत के राजपत्र में पारित आदेश की राजपत्रित अधिसूचना की तारीख से लागू किया गया है। चूंकि उक्त नोट वीपीटी के विद्यमान एसओआर का ही एक भाग होगा, इसलिए वीपीटी के एसओआर की वैधता की अवधि समाप्त होने के साथ ही उसकी भी वैधता समाप्त हो जाएगी।

- (vii). जहां तक वीपीटी के विरोध का संबंध है, वीपीटी के न्यासी मंडलके निर्णय के अनुसार मई 2020 तक अंतर्देशीय पोत पर तटीय प्रशुल्क प्रभारित करने के लिए पत्तन विचार नहीं कर सकता, यह उल्लेख करना है कि दरमान के खण्ड 1.2 के अंतर्गत नोट (xv) में यह निर्धारित है कि एसओआर में निर्धारित दरें उच्चतम हैं और पत्तन को न्यून दरें प्रभारित करने के लिए शिथिलता प्रदान कर सकता है। इस बात को समझते हुए कि अंतर्देशीय पोत विदेशगामी पोत नहीं है और वीपीटी के एसओआर में 1.2 के अंतर्गत उक्त खण्ड (xv) को ध्यान में रखते हुए जोकि प्रशुल्क नीति 2018 के अनुसार है, अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करके वीपीटी जून 2020 से पूर्व की अवधि के लिए रियायती प्रशुल्क पर विचार कर सकता है जो सामान्य रूप से सभी अंतर्देशीय पोतों पर बिना किसी पृथक पोत का उल्लेख किए बिना लागू होंगे। उक्त अवधि के लिए पोत के वर्तमान प्रस्ताव के अनुरूप अंतर्देशीय पोत को रियायत प्रदान की जाए।

8.1. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, निम्नलिखित नोट को इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएमपी/20/2019-वीपीटी दिनांक 29 नवम्बर 2019 द्वारा अनुमोदित वीपीटी के विद्यमान दरमानों में सामान्य शर्तों और नियम 1.2 के अंतर्गतनोट संख्या (xxv) के रूप में सन्निविष्ट किया जाता है:

“अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 और अंतर्देशीय पोतों के रूप में वर्गीकृत के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय पोतों पर बर्थभाड़ा और वीपीटी के दरमानों में तटीय पोत के लिए प्रशुल्क स्तर पर निर्धारित पोत से संबंधित प्रभारों के अन्वय घटकों में रियायती प्रशुल्क प्रभारित किया जाएगा।”

8.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नोट भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। वीपीटी के एसओआर की वैधता समाप्त होने के साथ इसकी वैधता की अवधि समाप्त हो जाएगी।

8.3. वीपीटी को विद्यमान एसओआर में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाती है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./25/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 24th March, 2021

No. TAMP/20/2019-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Visakhapatnam Port Trust for amendment in the existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 to prescribe a note for levy of concessional Vessel Related Charges for the Boats/Barges/other crafts registered under Inland Vessel Act, 1917, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No.TAMP/20/2019-VPT****Visakhapatnam Port Trust**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 16th day of March 2021)

This case relates to the proposal received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for amendment in the existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 to prescribe a note as regards levy of concessional Vessel Related Charges for the Boats/Barges/other crafts registered under Inland Vessel Act, 1917.

2. This Authority had vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 passed an Order relating to general revision of VPT Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India on 27 December 2019 vide Gazette No. 494. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No. 20 dated 14 January 2020. The revised SOR notified by this Authority came into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of 3 years from the date the revised SOR came into effect i.e. till 26 January 2023.

3.1. The VPT vide its e-mail dated 23 February 2021 has now submitted a proposal for prescription of note for levy of concession in Vessel Related Charges for the Boats/ Barges/ other crafts registered under Inland Vessel Act, 1917. The main points made by the VPT in support of its proposal are as follows:

- (i). Many crafts/boats arrived at VPT for the purpose of Dredging, marine related operations, various infrastructural works etc. which do not ply beyond territorial waters of India, were levied necessary vessel related charges.
- (ii). Clause 1.2 (i) of Scale of Rates states that the status of the vessel borne out by its certification by the Customs or Director General of Shipping is the relevant factor to decide whether vessel is "coastal" or "foreign-going" for the purpose of vessel related charges and therefore foreign rate is charged in respect of crafts registered under the Inland Vessels Act, 1917 which are permitted to ply in coastal water only.
- (iii). VPT Board vide resolution No.13/2020-21 resolved to send proposal to TAMP for levy of concessional Coastal tariff on berth hire and other components of VRC for barges/ boats etc. registered under the Inland Vessel's Act, 1917 and classified as Inland Vessels.
- (iv). Therefore, it is proposed to levy concessional coastal tariff on berth hire and other components of VRC specified in the SOR vide Order dated 29 November 2019 with due annual indexation for vessels registered under Inland Vessel Act and classified as "Inland Vessels" with following insertion under section 1.1 as clause (xi).
- (v). "Inland vessel or Inland mechanical propelled vessel means a mechanically propelled vessel, which ordinarily plies on inland water but does not include fishing vessel and a ship registered under the Merchant Shipping Act, 1958 and registered under the Inland Vessels Act, 1917" and classified as "Inland Vessels".
- (vi). To insert under General Terms and Conditions 1.2 clause (iv) as "Inland vessels shall be levied concessional coastal tariff on Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for vessels registered under the Inland Vessel's Act, 1917 and classified as "Inland Vessels".

3.2. The Board of Trustees of VPT, in its meeting held on 02 June 2020, has resolved vide resolution no.13 (a copy of Board resolution dated 02 June 2020 is furnished) approved the following:

- (i). To send proposal to TAMP for levy of concessional coastal tariff on Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for barges/boats etc.
- (ii). Till such time TAMP notifies the above concessional rates for "Inland Vessel" [as stated at (i) above], and with a view to implement an uniform policy in levy of tariff, Coastal rates may be levied for such vessels treating the rates as remitted/ remission from foreign rates for such classifications of vessels [Inland Vessel] as the Board has the jurisdiction to permit such remissions under section 53 of the Major Port Trust Act, 1963 and

- (iii). The concessional tariff will be effective prospectively from the date of issuance of Circular, informing the above to the Trade.

4. Thus, in short, the VPT has filed the current proposal for inserting a note in the existing SOR of VPT as regards levy of concessional tariff at the concessional tariff prescribed for coastal vessel for berth hire charges and other components of VRC for barges/ boats etc. registered under the Inland Vessel's Act, 1917 and classified as Inland Vessels.

The rates approved by this Authority in the SOR of the VPT are ceiling rates. The VPT already has the flexibility to levy lower rates. The Board of Trustees of the VPT has approved levy of concessional coastal tariff prescribed for Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for barges/ boats etc. to inland vessel. Since the proposal of the port is in the interest of the trade and is approved by the Board of Trustees, the consultation process and joint hearing on the proposed amendment was not felt necessary.

5.1. In the meanwhile, Mr. K. Vijay Gopal, an owner of the boat Sagar Rakshak – 2 (AP-IV-K-B-0156) vide its e-mail dated 18 December 2020 and subsequent reminder dated 08 January 2021 sought an order to be released to VPT against berth hire charges collected by VPT at foreign rate in respect of their boat which has not left the port since arrival. The main submission made by Mr. K. Vijay Gopal in its e-mail dated 18 December 2020 are summarised below:

- (i). The said boat was purchased from AP State Government in an auction when the boat was being used by customs Vizag in the year 2012.
- (ii). Since then the boat has not been registered and did not leave the VPT till date. The VPT has been collecting the berth hire charges under foreign category even though the boat was built in India and the original owner was State Government and in its life time it did not leave the VPT.
- (iii). In the year 2018 the said boat was registered under IV Act of AP Maritime Board. Even then port has been collecting the same charges under foreign category till May 2020. After several representations, the port started collecting tariff for coastal category from the month of June 2020.
- (iv). Hence, it is requested to consider their plea and give proper justified Orders to VPT regarding this matter.

5.2. A copy each of said e-mails dated 18 December 2020 and subsequent reminder dated 08 January 2021 received from K. Vijay Gopal was forwarded to VPT vide our letter dated 12 February 2021 for furnishing its comments.

5.3. In response, the VPT vide its e-mail dated 10 March 2021 has forwarded its letter dated 08 March 2021. The main points made by the VPT in its letter dated 10 March 2021 are summarized as follows:

- (i). As per VPT Board Resolution No.13/2020-21 in respect of Agenda item No. S-1, during the meeting held on 02 June 2020, the concessional coastal tariff will be effected from the date of issue of the circular i.e. 26/29 June 2020.
- (ii). Hence, the firm's contention to collect the charges in coastal tariff till May 2020 cannot be considered as per the decision of the Board of Trustees of VPT. Further, when sought clarification from TAMP, TAMP has replied to file a proposal for treating the vessels registered under Inland Vessel Act as coastal and the same to have prospective effect.

6. As regards reference made by VPT to TAMP letter on clarification sought by the port, it is to state the factual position stated in the said letter dated 20 January 2021 to the VPT. TAMP has drawn reference to the Board Resolution of VPT dated 02 June 2020 wherein, Board of Trustees of the VPT has resolved that the port files a proposal to TAMP for separate tariff for inland vessel. That being so, the VPT was requested to file a proposal seeking approval of tariff for inland vessel following the Tariff Guidelines, 2018 and Working Guidelines 2018. As per Clause 5.7.5 of the Working Guidelines 2018, the tariff to be approved by TAMP based on the proposal to be filed by the VPT shall have prospective effect.

It was further stated in the said letter in concluding para that the rates approved by this Authority are ceiling rates. The VPT already has the flexibility to levy concessional rates to inland vessel till the rates are approved by this Authority based on separate proposal to be filed by VPT.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). The VPT has mooted this proposal in light of the position brought out that many crafts/ boats which arrived at VPT for the purpose of Dredging, marine related operations, various infrastructural works etc. which do not ply beyond territorial waters of India, were being

levied Vessel related charges at the tariff prescribed for Foreign going vessel rate reportedly based on the provision prescribed in 1.2 (i) of SOR.

The said clause of the SOR states that the status of the vessel borne out by its certification by the Customs or Director General of Shipping is the relevant factor to decide whether vessel is “coastal” or “foreign-going” for the purpose of vessel related charges and therefore foreign rate is charged in respect of crafts registered under the Inland Vessels Act, 1917 which are permitted to ply in coastal water only.

- (ii). Definition of Coastal vessel prescribed uniformly across all the Major Port Trusts and BOT operators including the SOR of VPT, is reproduced below:

“Coastal vessel” shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping/ Competent Authority.

- (iii). The term Inland vessel is not defined in the existing approved SOR of VPT. The VPT has referred to the definition of the term “Inland Vessel” as per Inland Vessels Act, 1917 which is reproduced below:

“Inland vessel or Inland mechanical propelled vessel means a mechanically propelled vessel, which ordinarily plies on inland water but does not include fishing vessel and a ship registered under the Merchant Shipping Act, 1958 and registered under the Inland Vessels Act, 1917” and classified as “Inland Vessels.”

- (iv). Definition of Inland vessel is prescribed in the SOR of Cochin Port Trust (COPT), Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SPMP) [earlier known as Kolkata Port Trust (KOPT)] and Mumbai Port Trust (MBPT) as given below:

- (a). Cochin Port Trust (COPT):

“Inland Water Barge” shall mean barge, which plies only in inland waterways.

- (b). Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SPMP) [earlier known as Kolkata Port Trust (KOPT)]:

‘Inland Vessel’ shall mean any vessel registered as such under the provision of the Inland Vessels Act, 1917.

- (c). Mumbai Port Trust (MBPT):

“Inland Vessels” shall mean Vessels/barges registered under Inland Vessel Act and cannot ply outside Inland water limit, such vessels do not fall under definition of offshore supply vessel

- (v). The VPT has proposed to levy concession in the vessel related charges on inland vessel at par with the concessional tariff prescribed in the SOR for coastal vessel. For this, the port has proposed to insert a note stating Inland vessels shall be levied concessional coastal tariff on Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for vessels registered under the Inland Vessel’s Act, 1917 and classified as “Inland Vessels”. This proposal is approved by Board of Trustees of VPT.

Since the proposal of VPT is already approved by its Board, this Authority approves insertion of the proposed note with slight modification in the language to state that Inland vessels registered under the Inland Vessels Act, 1917 and classified as Inland Vessels shall be levied concessional tariff in Berth Hire and other components of Vessel Related Charges at the level prescribed for coastal vessel in the Scale of Rates of the VPT.

It is relevant here to state that the definition of coastal vessel and coastal concession policy issued by the Government do not cover inland vessel. Hence, the concessional tariff prescribed for inland vessel as proposed by the VPT is to be treated as general concession and not to be construed as covered by concession in tariff for coastal vessel.

The VPT has proposed to insert the proposed note as note (iv) under 1.2. General Terms and Conditions of the existing SOR. It is seen that the existing SOR of the VPT already prescribes note (iv). Hence, the proposed new note is inserted as a last note No. (xxv) under 1.2. General Terms and Conditions of its SOR.

- (vi). The Board of Trustees of the VPT has approved the proposed concessional tariff for inland vessel prospectively from the date of issuance of Circular by the VPT to the Trade treating the rates as remitted/remission from foreign rates for such classification of the vessels (inland vessels) as the Board has the jurisdiction to permit such remissions under Section

53 of the Major Port Trusts Act, 1963. Further, since the rates approved by this Authority, are ceiling rates, the ports already have the flexibility to charge rates lower than the prescribed rates.

Ordinarily the Orders approved by this Authority have prospective effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Since the VPT has, based on approval of Board of Trustees of VPT, already applied concessional tariff based on circular to trade and the proposal is for granting concessional rate, the proposed amendments to the SOR notified by this Authority vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019, is made effective from the date of Gazette Notification of the Order passed in the Gazette of India. Since the said note shall form part of the existing SOR of the VPT, the validity of the same will be coterminous with the validity of the SOR of the VPT.

- (vii). As regards the contention of the VPT that port cannot consider to charge coastal tariff on inland vessel till May 2020 as per the decision of the Board of Trustees of VPT, it is to state that the Note (xv) under Clause 1.2 of the Scale of Rates prescribes that the rates prescribed in the SOR are ceiling rates and the port has the flexibility to charge lower rates. Recognising that the Inland vessel is not a foreign going vessel and also in view of the said clause (xv) under 1.2. in the SOR of VPT which is as per Tariff Policy, 2018, the VPT may consider concessional tariff for the period prior to June 2020 commonly applicable for all inland vessels without reference to any individual vessel after taking approval of its Board. For the said period, the concession to inland vessel may be granted in line with the current proposal of the port.

8.1. In the result, and for the reason given above and based on collective application of mind, the following note is inserted as note No. (xxv) under General Terms and Conditions 1.2 in the existing Scale of Rates of VPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019:

“Inland vessels registered under the Inland Vessels Act, 1917 and classified as Inland Vessels shall be levied concessional tariff in Berth Hire and other components of Vessel Related Charges at the tariff level prescribed for coastal vessel in the Scale of Rates of the VPT.”

8.2. The note approved by this Authority will come into effect from the date of notification in the Gazette of India. The validity of the same will be coterminous with the validity of the SOR of the VPT.

8.3. The VPT is advised to suitably amend the existing SOR.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Ext./25/2021-22]